भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 190

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास मामले</u>

***190. डॉ. ए. सम्पत:**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास वर्ष-वार कितने मामले दर्ज कराए गए तथा कितने मामलों का निपटारा किया गया और इसके पास कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विनिर्माताओं और वितरकों/खुदरा व्यापारियों के बीच विद्यमान पुन: बिक्री करारों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है; अैर

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

<u>भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास मामले से संबंधित दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में पिछले दो वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 30.11.2015 तक दायर, निपटाए गए और विचाराधीन मामलों की संख्या निम्नलिखित है-

वर्ष	दायर मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	सीसीआई में विचाराधीन मामले
	(1)	(2)	(3)
2013-14	115	93	104
2014-15	128	95	137
2015-16 (30.11.2015 तक)	80	98	119

(ख): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में ऐसे चार मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें विनिर्माणकर्ताओं और वितरकों/खुदरा व्यापारियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विरोधी पुनः बिक्री मूल्य समझौतों के संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है-

वर्ष	मामलों के ब्यौरे	
2013-14	(i)	सीसीआई के दिनांक 12.10.2015 के आदेश द्वारा मामला संख्या 68/2013 (घनश्याम दास विज बनाम मैसर्स बजाज कारपोरेशन लिमिटेड और अन्य) का निपटान किया गया है।
2014-15	(i)	मामला संख्या 36/2014 (मैसर्स एफएक्स इंटरप्राइज सॉल्युशन्स इंडिया प्रा.लि. बनाम मैसर्स हुंदई मोटर इंडिया लिमिटेड) की जांच महानिदेशक, सीसीआई द्वारा की जा रही है।
	(ii)	मामला संख्या 61/2014 (मैसर्स जैसपर इंफोटेक प्रा.लि. (स्नैपडील) बनाम मैसर्स काफ एप्लायेंसेज (इंडिया) प्रा. लिमिटेड) की जांच महानिदेशक, सीसीआई द्वारा की जा रही है।
	(iii)	सीसीआई के दिनांक 09.09.2015 के आदेश द्वारा मामला संख्या 9/2015 (मैसर्स सुभम सैनिटरीवेयर्स बनाम मैसर्स एचएसआईएल लिमिटेड) का निपटान किया गया है।
2015-16 (30.11.2015 तक)		पुनः बिक्री मूल्य समझौतों के संबंध में कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना भारत में प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों की रोक-थाम करने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करने और बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने के लिए की गई है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ताओं की हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है और इस प्रयोजन से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि उपभोक्ता विवादों का तेजी से और सरल तरीके से समाधान किया जा सके।

*****